Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 227-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017 (PAUSA 7, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 दिसंबर, 2017

संख्या 135/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, प्ररुप जीएसटीआर–1 में, सारणी–6 के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"6. शून्य दर प्रदाय और समझे गए निर्यात

प्राप्तिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे			शिपिंग बिल/ निर्यात का बिल		एकीकृत कर			केंद्रीय कर			राज्य / संघ राज्यक्षेत्र कर			उपकर
	संख्या	तिथि	मूल्य	संख्या	तिथि	दर	कराधेय मूल्य	राशि	दर	कराधेय मूल्य	राशि	दर	कराधेय मूल्य	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6क. निर्यात															
6ख. विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय															
6ग. समझे गए निर्यात															
															";

3. उक्त नियमों में, प्ररुप जीएसटी आरएफडी–01 में,–

(क) क्रम संख्या 7 में, मद (ज) में, ''डीम्ड निर्यात का प्राप्तिकर्ता'' शब्दों के स्थान पर, ''समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) घोषणा [नियम 89 (2) (छ)] के स्थान पर, निम्नलिखित घोषणा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''घोषणा [नियम 89 (2) (छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और राशि उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम– पदनाम/हैसियत

वचनबंध

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रतिदाय की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी / एसजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षायें पूरी नहीं हुई हैं, तो मैं ब्याज सहित स्वीकृत प्रतिदाय की राशि सरकार को वापस लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर

नाम––

पदनाम / हैसियत'';

(ग) विवरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

''विवरण 1क [नियम 89 (2)(ज)]

प्रतिदाय किस्म: विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54 (3) का प्रथम परंतुक का खंड (ii)]

क्रम संख्या	प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्यौरे			आवक प्रदायों पर भुगतान किया गया कर			जारी जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे			जावक प्रदायों पर भुगतान किया गया कर		
	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												'' ;

(घ) विवरण 5 के पश्चात्, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

''विवरण 5ख [नियम 89 (2)(छ)]

प्रतिदाय किस्म: समझे गए निर्यातों के लेखे

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा की दशा में आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे			भुगतान किया गया कर			
	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							'';

4. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटी आरएफडी–01क में,–

(क) क्रम संख्या 7 में, मद (छ) में, ''समझा गया निर्यात का प्राप्तिकर्ता'' शब्दों के स्थान पर, ''समझी गई निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझी गई निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''घोषणा [धारा 89(2)(च)]'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षर के स्थान पर, ''घोषणा [नियम 89(2)(च)]'' शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) घोषणा [नियम 89(2)(च)] के पश्चात्, निम्नलिखित घोषणा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''घोषणा [नियम 89 (2) (छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता)

प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है और राशि उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई वैध विवरणी में लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की राशि से अधिक नहीं है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में ☐

मैं, इसके द्वारा, घोषणा करता हूं कि प्रतिदाय का दावा केवल उन बीजकों के लिए किया गया है, जिनके ब्यौरे विवरण 5ख में उस कर अवधि के लिए दिए गए हैं, जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया जा रहा है। मैं, यह भी घोषणा करता हूं कि प्राप्तिकर्ता उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं करेगा और प्राप्तिकर्ता ने ऐसी प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय भी नहीं लिया है।

हस्ताक्षर

नाम– पदनाम/हैसियत

वचनबंध

मैं, इसके द्वारा, वचन देता हूँ कि यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रतिदाय की गई राशि के संबंध में सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षायें पूरी नहीं हुई है, तो मैं ब्याज सहित स्वीकृत प्रतिदाय की राशि सरकार को वापस लौटा दूँगा।

हस्ताक्षर

नाम––

पदनाम / हैसियत'';

(घ) ''स्वतः घोषणा [धारा 89 (2)(छ)]'' शब्दों, कोष्ठकों, अंकों तथा अक्षर के स्थान पर, ''स्वतः घोषणा [नियम 89(2)(ठ)''] शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) विवरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

''विवरण 1क [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय किस्म: विपर्यस्त कर ढांचे के कारण संचित आईटीसी [धारा 54 (3) का प्रथम परंतुक का खंड (ii)]

क्रम संख्या	प्राप्त प्रदायों के आवक बीजकों के ब्यौरे			आवक प्रदायों पर भुगतान किया गया कर			जारी जावक प्रदायों के बीजको के ब्यौरे			जावक प्रदायों पर भुगतान किया गया कर		
	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												'';

(च) विवरण 5क के पश्चात्, निम्नलिखित विवरण रखा जाएगा, अर्थात्:–

''विवरण 5ख [नियम 89 (2)(छ)]

प्रतिदाय किस्म: समझे गए निर्यातों के लेखे

(राशि रुपए में)

क्रम संख्या	प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे/प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा करने की दशा में आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे			भुगतान किया गया कर			
	संख्या	तिथि	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8
							;''।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 29th December, 2017

No.135/ST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Thirteenth Amendment) Rules, 2017.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), in **FORM GSTR-1**, for Table – 6, the following Table shall be substituted, namely:-

"6. Zero rated supplies and Deemed Exports

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export		Integrated Tax			Central Tax			State /UT Tax			Cess
	No.	Date	Value	No.	Date	Rate	Taxable value	Amount	Rate	Taxable value	Amount	Rate	Taxable value	Amount	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6A. Exports															
6B. Supplies made to SEZ unit or SEZ Developer															
6C. Deemed exports															
															";

3. In the said rules, in **FORM GST RFD-01**,-

(a) in serial No. 7, in item (h), for the words "Recipient of deemed export", the words "Recipient of deemed export supplies/supplier of deemed export supplies" shall be substituted;

(b) for the **DECLARATION [rule 89(2)(g)]**, the following shall be substituted, namely:-

"DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status";

(c) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Serial Number	Details of invoices of inward supplies received			Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State/ Union Territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												";

(d) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Serial Number	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient			Tax paid			
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
							" ;

4. In the said rules, in **FORM GST RFD-01A**,-

(a) in serial number 7, in item (g), for the words "Recipient of deemed export", the words "Recipient of deemed export supplies/supplier of deemed export supplies" shall be substituted;

(b) after the **DECLARATION [rule 89(2)(f)]**, the following shall be inserted, namely:-

"DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status";

(c) after Statement 1, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Serial Number	Details of invoices of inward supplies received			Tax paid on inward supplies			Details of invoices of outward supplies issued			Tax paid on outward supplies		
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												";"

(d) after Statement 5A, the following Statement shall be inserted, namely:-

"Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Serial Number	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/ Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient			Tax paid			
	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8
							".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

55896—C.S.—H.G.P., Chd.